# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 317/2018

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| 1– रामुराम पुत्र बुधरराम<br>2– सवाईराम पुत्र बुधरराम<br>जातियान माली निवासीगण<br>रामसर कानोडिया, महासिह<br>तहसील देचू जिला जोधपुर | | 1– गेनाराम पुत्र भीयाराम<br>2– हुकमाराम पुत्र भीयाराम<br>3– पपूराम पुत्र लालाराम<br>जातियान जाट निवासीगण<br>रामसर कलाऊ, तहसील<br>शेरगढ जिला जोधपुर<br>4– राजस्थान सरकार जरिये<br>तहसीलदार देचू जिला जोधपुर |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 3–5–2018 जो उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा प्रकरण संख्या 22/2018 अनवान गेनाराम बनाम सरकार मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री रूघाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–जगदीश प्रजापत अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से ।

## निर्णय

दिनांक 11–10–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनके शामलीती खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 413/1 रकबा 1.05 बीघा जो ग्राम रामसर पटवारी क्षेत्र कलाऊ तहसील सेतरावा मे आया हुआ है । उक्त भूमि का सुधार एवं विकास करवाने के उद्देश्य से तथा अपने खातेदारी की भूमि मे खडी फसल को पशुओ से बचाने के लिए तारबंदी व पत्थरगढी कराने हेतु निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार केम्प कलाऊ मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थीगण के खेत खसरा नंबर 413/1 रकबा 1.05 बीघा भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश पारित कर दिया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील अपीलांटगण ने धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदारान को पक्षकार ही नही बनाया जबकि पत्थरगढी के मामले मे पडौसी खातेदारो को पक्षकार बनाया जाकर उनको सुनकर ही आदेश पारित किया जा सकता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांटगण एवं प्रत्यर्थीगण दोनो ही अपीलाधीन भूमि के केतागण है तथा अपीलाधीन भूमि का कोई विधि अनुसार बंटवाडा नही हुआ है इसलिए बिना बंटवाडे के किसी खसरा विशेष पर पत्थरगढी के आदेश पारित नही किये जा सकते है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार देचू का जवाब प्रस्तुत हुआ जिसमे स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पडौसी खातेदार को पक्षकार बनाकर सुना जाना आवश्यक है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय बिना पडौसी खातेदार को पक्षकार बनाये एवं उन्हे सुने बिना पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–5–2018 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कथन किया कि कोई भी खातेदार अपने खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकार रखता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने जो प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसमे केवल तहसीलदार देचू को ही पक्षकार बनाया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार देचू की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसमे पडोसी खातेदारो को पक्षकार बनाया जाकर उन्हे सुना जाना आवश्यक बताया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार देचू के जवाब को नजरअंदाज करते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पक्षकारो के रूबरू पत्थरगढी करने के आदेश पारित कर दिये जबकि प्रार्थना पत्र मे पक्षकार केवल तहसीलदार देचू को ही बनाया गया था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 16–5–2015 को उक्त खसरा नंबर 413/1 की पैमाईश मौके पर जाकर करना बताया उक्त पैमाईश किन खातेदारो की उपस्थिति मे तैयार की गई, पैमाईश रिपोर्ट की फर्द रेकर्ड पर नही होते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जबकि पडौसी खातेदारो की उपस्थिति मे पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही पत्थरगढी का आदेश पारित किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान को भी नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक

3–5–18 निरस्त कर प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि मौजा रामसर पटवार क्षेत्र कलाऊ की अपीलाधीन भूमि खसंरा नंबर 413/1 के पडौसी सभी खातेदारो को पक्षकार बनाते हुए उनकी उपस्थिति मे सीमाज्ञान रिपोर्ट तलब करे, सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त होने पर सभी पडौसी खातेदारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी बाबत पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 11–10–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

11/10/18

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर